वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 401

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सी–पी)/अ.अ.(आर.ए.वा.)/फा /प्रे. 1012 दि. 24.07.07.

आदेश

विषय : गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं के समीप छितराये **(Scattered)** घरों में "घरेलू श्रेणी" के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने के क्रम में ।

गैर आबादी क्षेत्र में कृषि कुओं पर स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समीप छितराये (Scattered) घरों में "घरेलू श्रेणी" के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु निम्नलिखित योजना तुरन्त प्रभाव से जारी की जाती है:–

1. उक्त कनेक्शन पूर्व में स्थापित सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में पडने वाले उपभोक्ता को ही दिये जायेगें। एल.टी. लाईन ए.बी. केबल (AB Cable) से ही डाली जाएगी तथा सर्विस लाईन में आर्मड केबल ही लगेगी।
2. गैर आबादी/आबादी क्षेत्र मे वर्तमान प्रावधानों के अनुसार लाईनों के विस्तार हेतु 100 रू. प्रति मीटर सिंगल फेज लाईन की दर से राशि ली जाती है जिसके कारण मांग पत्र की राशि ज्यादा आती थी। अतः इस विषय में निर्णय लिया गया है कि ऐसे घरेलू कनेक्शन के लिये स्थायी राशि 3500/– रू. प्रति कनेक्शन होगी जिससे अधिकांश ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके।
3. यथा संभव 9 मीटर के पीसीसी पोल पर ही लाईन खींची जावे।
4. ऐसे कनेक्शन देने के लिये कोई भी नये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जायेंगे।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा) 24.7.07

मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर